न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 21/2025

श्री विक्रम सिंह निवासी ग्राम कुंजलाबास पोस्ट रावतसर कुंजला जिला चुरू राज0
––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांकः– 01.04.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

रत्तीराम मीना पिता श्री नानगराम मीना नर्सिंग स्टाफ़ (GNM) जो दत्तवास त.–निवाई, जिला–टोंक में कार्यरत के बारे में निम्नांकित सूचना चाहने बाबत्।

1 उक्त प्रार्थी का जोइनिंग लेटर की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।

2 उक्त रत्तीराम मीना द्वारा नियुक्ति के समय देय दहेज़ उद्घोषणा प्रमाण पत्र की फ़ोटो प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 394 दिनांक 12.03.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 320 दिनांक 20.03.2025 से जवाब प्रेषित किया है अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक को कार्यालय के पत्र कमांक आर. टी.आई/2025/120 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अन्तरित कर दिया गया है। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक द्वारा सूचना नही देने की स्थिति में अपीलार्थी उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर राजस्थान

636